RAJYA SABHA

Thursday, the 16th *May,* 2002/26 *Vaisakha,* 1924 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Entertainment tax on Internet Service Providers

*721 SHRI DARA SINGH CHAUHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that notices for payment of entertainment tax are being issued in NOIDA to the Internet Service Providers;

(b) whether Government consider the internet as means of entertainment in the country; and

(c) if so, whether the Internet Service Providers are also liable to pay entertainment tax on the basis of number of connections provided by them?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): (a) to (c) A Statements is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As per the information received from the Government of Uttar Pradesh, the District Magistrate, Gautam Budh Nagar has issued notices for payment of Entertainment Tax to those operators in NOIDA who are using cable to provide access for entertainment programmes including films. As per the available information, one of these operators is having a license for providing Internet services also.

(b) Entertainment Tax is a State subject within the purview of State lovernments.

(c) Does not arise.

श्री दारा सिंह चौहान: सभापति महोदय, पहले मेरी आपत्ति है जिस मैं आपका सरंक्षण चाहता हूं । हमारे सवाल के "बी" पार्ट में जिसमें मैंने पूछा था कि क्या सरकार इंटरनेट को देश में मनोरंजन का साधन मानती है, लेकिन मंत्री जी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो क्या मंत्री इस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे ? दूसरा, सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार एक तरफ सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकार इस पर मनोरंजन कर लगाने की सोच रही है, तो इस स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट सेवा का विस्तार किस प्रकार से हो सकता है, क्या सरकार इस संबंध में कोई नीति निर्धारण करने का विचार रखती है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, इंटरनेट मनोंरजन का साधन है या नहीं, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट ढेर चीज़ों का साधन है वह लोक शिक्षण का भी साधन है, वह संचार का भी साधन है, संवाद का भी साधन है और कभी-कभी गाना-बजाना भी सुना जा सकता है तथा कभी-कभी फिल्म भी देखी जा सकती है । इस प्रकार इंटरनेट अपने आप में लगभग सभी कार्य करने वाला साधन है । इसलिए इसको किसी एक चीज का साधन, जैसे हम सिनेमा को मनोरंजन का साधन मान सकतें है, वैसे इसको नहीं माना जा सकता । मोटे रूप से देखा जाए तो यह संवाद, संचार का ज्यादा माध्यम है, बाकी इसमें इसका बहुत थोड़ा हिस्सा कभी-कभार मनोंरजन भी करता है । दूसरी बात यह है कि जहां तक मनोरजंन पर किसी प्रकार कर लगाने का प्रश्न है तो मनोरजंन का कोई कर केन्द्र सरकार नहीं लगाती है,मनोरंजन कर का विषय तो अपने आप में राज्य सरकार के अधीन है । मेरी जानकारी के अनुसार जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते है वे किसी घटना को मनोरंजन का साधन मानकर यह अंदाजा लगाते है कि इस पर मनोंरजन कर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए । अभी तक अपने भाषणों पर उन्होंने कर नहीं लगाया है, लेकिन वे लगा सकते है । इसलिए मनोरंजन कर राज्य सरकार का विषय है । एक घटना जो सम्माननीय सभासद् ने पूछी है वह उत्तर प्रदेश में हुई है । केन्द्र सरकार और मेरी व्यक्तिगत राय है कि मनोरजंन, इंटरनेट का कोई प्रमुख उद्धेश्य नहीं होने के कारण इस पर मनोरजंन कर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन जैसा मैंने कहा कि वह विषय तो राज्य सरकार का है ।

श्री दारा सिंह चौहान : मेरे दूसरे पूरक प्रश्न का "ए" पार्ट है, क्या सरकार यह मानती है कि बिना केबल के उपयोग किए, आम लोगों तक इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं ? यदि नहीं, तो केबल ऑपरेटर्द को मनोरंजन के कर का नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि वे केबल द्वारा केवल इंटरनेट की सुविधाएं ही प्रदान कर रहे है, क्या सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार कर रही है ? ऐसी सुविधाएं एमटीएनएल, वीएसएनएल द्वारा दी जा रही है, क्योंकि हम मानते है कि एक तो जो केबल ऑपरेटर्स है, यह डोली के पिछले कहार है, जो कि वीएसएनएल द्वारा दी जा रही सूचनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है । तो

ऐसी स्थिति में क्या सरकार, राज्य सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम और भारत संचार निगम को भी ऐसे नोटिस जारी किए है और यदि नहीं, तो केबल ऑपरेटर्स को मनोरजंन कर के नोटिस जारी करने का क्या औचित्य है, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

श्री प्रमोद महाजनः सभापति जी, यह प्रश्न मेरी कक्षा में तो आता नहीं है । किसी राज्य सरकार ने अभी तक, मेरी जानकारी के अनुसार, वीएसएनएल या एमटीएनएल को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मानकर मनोरजंन कर देने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किए है । नौएडा में एक घटना है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उसको छोड़कर इस प्रकार की नोटिस किसी ने नहीं दी है । अब चूकिं यह दी नहीं है, जैसे मै पहले बता चुका हूं...(व्यवधान)...

श्री दारा सिंह चौहान: महोदय... (व्यवधान)...यह है, इसलिए हम जानना चाहते है...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : दूसरी बात, जहां तक केबल नेटवर्क के विषय का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि केबल नेटवर्क और उसका सारा विषय मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है । उसके लिए सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय है और केबल नेटवर्क से जुड़ी चीजों का नियमन करना उनका काम है । इस विषय में हमारा कोई रोल नहीं है ।

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, the internet is full of immense possibilities and opportunities, but the Internet has also a flip side. I want to take advantage of the presence of the hon. Minister and put a question to him. All that is being presented through the Internet is being seen and taken as knowledge by our younger generation. Those who are going to schools, those who are doing higher studies, those who are going to colleges, they all take the Internet information as knowledge.The Internet is a deity to them, and whatever is presented to them through the Internet, they take it as the plain, unvarnished and undefiled truth. Sir, there are a lot of Internet sites which are churning out material that is, if not stupid, senseless, inane, useless and trash and our younger generation in consuming it as if it is a knowledge. Sir, information becomes knowledge only by three means. First, when we go to the root of information and find that information correct; secondly when we draw conclusion from that information and find that conclusion valid; and thirdly, when we experience that information in our life and find that information correct. All information is not knowledge, and the attitude that is being adopted by th~ nation, that everything that is presented through the Internet is correct, has done a lot of damage to our younger generation. This kind of attitude to adopted in

our schools, in our educational institutions. Sir, has the IT Ministry caustioned the HRD Ministry about what is happening today? The younger generation is taking it as truth.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, all information is not knowledge, but the information supplied by the Member is knowledge, and I am sure that parents, everbody, will lock, keep it in mind and see that the flip side of Internet does not affect our younger generation.

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन् जब किसी विषय पर चर्चा होती है और अगर उस विभाग से संबंधित मंत्री जी नहीं आते है तो यह कहा जाता है कि यह संयुक्त जिम्मेदारी है या जाइंट रिस्पांसिबिलिटी है। मै भी इस बात का मानता हूं कि जांइट रिस्पांसिबिलिटी होती है लेकिन अभी माननीय मंत्री जी एक सवाल के उत्तर में बता रहे थे कि यह तो सूचना विभाग से संबंधित है। महोदय, माननीय मंत्री जी यह तो कर सकते है कि मुझे अभी इस की जानकारी नहीं है, लेकिन यह जवाब देना कहां तक उचित है कि यह तो सूचना विभाग से संबंधित है, इसलिए मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा।

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम मनोरंजन कर नहीं लगाते है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और जैसा कि अभी प्रश्नकर्त्ता ने पूछा कि क्या आप इस ढंग का कोई निर्देश देंगे कि इंटरनेट की जो सर्विस दी जा रही है, उन पर कोई मनोरंजन कर न लगाया जाए ? क्या प्रदेश सरकारों को माननीय मंत्री जी ऐसा निर्देशन करेंगे ?

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, जैसा मैंने कहा कि नोएडा की एकाध घटना को छोड़कर देशभर में अभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं आया है कि किसी राज्य सरकार ने इंटरनेट पर मनोरजंन कर लगाया हो। अगर इस प्रकार की कोई घटना घटेगी, तो केन्द्रीय सरकार की ओर से उसे निर्देश कह देना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मनोरजंन कर लगाना, न लगाना यह राज्य सरकार का अधिकार है, लेकिन हम उन को जरूर सलाह देंगे कि वह इंटरनेट पर कोई मनोरंजन कर न लगाएं। दूसरी बात, आदरणीय सदस्य बहुत वरिष्ठ है, मैं उन्हें क्या बताऊं, जाइंट रिस्पांसिबिलिटी का जो सिद्वांत है, वह प्रश्नकाल में थोड़ा सा बदल जाता है। इसलिए अलग-अलग मंत्रियों को नोटिस दी जाती है और प्रश्नकाल में तो जिस विभाग को नोटिस दी गयी, वह विषय छोड़कर अलग दूसरा विषय हो तब भी मंत्री के लिए उत्तर देने में दिक्कत होती है। आप ने केबल के बारे में जो बात बताई है, हम उसे सूचना प्रसारण मंत्रालय की नजर में जरूर लाएंगे।

डा.कुमकुम राय : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि पिछले दिनों इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह बात समाने आई थी कि इस बेरोजगारी के जमाने में बहुत से नौजवानों ने इंटरनेट ढाबे खोल-खोल

कर अपने सुनियोजन का काम आरंभ किया था और अपनी रोजी कमाने का काम किया था, उन तमाम लोगों से इंटरव्यू प्रकाशित हुए थे और दिखलाए गए थे कि सरकार की कुछ नीतियों की वजह से जो उन्हें इंटरनेट सर्विस का 40/- रूपए प्रति घंटा मिलता था, वह घटकर अब 10/- रूपए रह गया है । रेट में अचानक कमी होने से इन नौजवानों के सामने यह समस्या आ गई है कि जो उन्होनें किराए पर ढाबे ले रखे थे, उन ढाबों का किराया निकालना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है । तो क्या इस संबंध में मंत्री महोदय विचार करेंगे ? और, इसका उत्तर देंगे कि ऐसा क्यों हुआ और क्या इस स्थिति को सुधारने के लिए उनके मन में कोई योजना है ?

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, यह संचार ढाबों से संबंधित प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आदरणीय सदस्या ने पूछा है तो मैं इस संबंध में जानकारी लेकर उनको दूंगा ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 722, Mr. Khuntia. He is not here.

SHRI JIBON ROY: Sir, this is an important question. He is not here. If you permit, we can take it up.

MR. CHAIRMAN: No, it can't be done. Question No. 723.

*722. *[The Questioner (Shri Ramachandra Khuntia) was absent. For answer vide page 22 infra.]*

एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के विकलांग बूथ आपरेटरों की मांगें

723. **श्री पी. के.माहेश्वरी** : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को एस.टी.डी./पी.सी.ओ.बूथ के दृष्टिहीन आपरेटरों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने आम उपभोक्ताओं से लिये जा रहे किराये के 50 प्रतिशत के बराबर हिस्सा देने और उनका कमीशन 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है **:**

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है **:** और

(ग) यदि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

दृष्टिहीनों द्वारा संचालित एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ आपरेटरों के संघ की ओर से अन्य